संख्या-78/2017/1462/22-2-2016-17(255)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री गोपाल, निवासी जनपद-फतेहपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30519/पर-2(एम029-08-2016) दिनांक-09-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री गोपाल, निवासी-दिहुली, थाना-थरियांव, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। खेत में काम कर रही कुमारी रन्नो के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करने पर विरोध किये जाने एवं शोर मचाने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 28.01.76 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे हंसिये से मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-162ए/1976 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 21.01-1977 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.08.2016 तक 24 वर्ष 04 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने खेत में काम कर रही कुमारी रन्नो के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करने पर विरोध किये जाने एवं शोर मचाने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 28.01.76 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे हंसिये से मारकर उसकी हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं सम्बन्धित मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हीरालाल पुत्र श्री गोपाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हीरालाल पुत्र श्री गोपाल, निवासी जनपद-फतेहपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-78/2017/1462/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।